न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः–जाकिर हुसैन, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 25/2019 (धारा 14 सिक्यूरिटाइजेशन)

कैनरा बैंक शाखा रावतसर, जिला हनुमानगढ़।

––प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

विरूद्व

(1) मैसर्स श्री पितरजी ट्रेडिंग कम्पनी
प्रोपराईटर श्री शिव भगवान पुत्र हीरालाल बिहाणी
पता–दुकान नम्बर 52–बी, धान मण्डी, रावतसर तहसील–रावतसर,
जिला–हनुमानगढ

(2) श्रीमती शिव भगवान पुत्र हीरालाल बिहाणी
पता वार्ड नम्बर 6 तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

––ऋणी/प्रोपराईटर

प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अंतर्गत सहायता हेतु।

आदेश **दिनांक 17.10.2019**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी कैनरा बैंक शाखा–रावतसर के अभिभाषक श्री रामकुमार बिश्नोई उपस्थित जिनको सुना गया। बैंक के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि बैंक द्वारा ऋणी/प्रोपराईटर को दिनांक 15.04.2013 को 15,00,000/–रूपये एवं दिनांक 15.04.2014 को रूपये 10,00,000/– कुल राशि रू. 25,00,000/– का ऋण स्वीकृत किया गया था। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है। बंधक अचल सम्पत्तिः–रिहायशी मकान वार्ड नं0 6, रावतसर, तहसील–रावतसर, जिला हनुमानगढ में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 2704 वर्गफिट है जो कि श्री शिवभगवान पुत्र हीरालाल बिहाणी के नाम से है ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी/जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है।

ऋणी द्वारा ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 28.09.2018 को अनर्जन परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया।

बैंक द्वारा ऋणी/प्रोपराईटर को दिनांक 04.10.2018 को वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 27,28,048/–(अक्षरे रूपये सताईस लाख अटठाईस हजार अड़तालीस मात्र) दिनांक 30.09.2018 तक व इस दिनांक के बाद की ब्याज व अतिरिक्त खर्चे, लागत इत्यादि करने के लिए मांग की। वकील ने यह भी कथन किया कि

नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवाई गयी व न ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया।

ऋणी एवं जमानतदार द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि बैंक को जमा नही करवाई है। उक्त एक्ट के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा 14 के प्रावधानो के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को उक्त बंधक शुदा सम्पति का भौतिक कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे ताकि अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पति बेचकर बकाया ऋण राशि वसूल की जा सकें।

बैंक के अभिभाषक के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया। ऋणी/जमानतदार द्वारा बैंक को उक्त ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 04.10.2018 ऋणी/जमानतदार को जारी किये गये। ऋणी/जमानतदार द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण का भुगतान बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ऋणी/जमानतदार द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी उक्त अचल सम्पति रिहायशी मकान वार्ड नं0 6, रावतसर, तहसील–रावतसर, जिला हनुमानगढ में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 2704 वर्गफिट है जो कि श्री शिवभगवान पुत्र हीरालाल बिहाणी के नाम से है जिसका भौतिक रूप से कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी कैनरा बैंक शाखा रावतसर को उक्त बंधक अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु बैंक द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता नियमानुसार संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ एवं संबंधित बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 17.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़